DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांक :–एफ.2(9095)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/20/06521/2022 जयपुर, दिनांक 28/09/2022

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सहायक प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक को निम्नलिखित पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु पत्राचार/स्वंयपाठी माध्यम से सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:–

क्र. स.	मेरिट नं.	नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती) एवं पद	पदस्थापित विभाग	कोर्स का नाम एवं सत्र	विश्वविद्यालय का नाम
1	107 (2013)	तरूण कुमार झा, सहायक प्रोग्रामर	निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	MA (Journalism and Mass Communication) (2022-2024)	Indira Gandhi National Open university, New Delhi
2	156 (2013)	चंदन सिंह, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति–बालोतरा, बाड़मेर	M.Sc. (CS) (2022-2024)	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
3	1003 (2013)	विकास शर्मा, सहायक प्रोग्रामर	राजस्व तहसील नीमराना, अलवर	M.Sc. (CS) (2022-2024)	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
4	350 (2011)	महेन्द्र चौधरी, सहायक प्रोग्रामर	जिला कार्यलय सूचना प्रौद्योगिक और संचार विभाग, हनुमानगढ़	MCA (2022-2023)	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
5	New Batch 2018	बीरेंद्र सिंह, सूचना सहायक	जिला रसद अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, भरतपुर–II , भरतपुर	M.Sc. (CS) (2022-2024)	Vardhman Mahaveer Open University, Kota
6	New Batch 2018	दीपशिखा बैरवा, सूचना सहायक	गवर्नमेन्ट जनाना हॉस्पिटल, जयपुर	M.Sc(Maths) (2022-2024)	Vardhman Mahaveer Open University, Kota

उक्त पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

लगातार2...

10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
12. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शस्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

—sd—

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. सम्बन्धित कार्मिक..।
4. संबंधित निजी/रक्षित पत्रावली।

विजय
23/09/22
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी